संचिका संख्या : 15/खा०–07–02/2026–........................./स्वा०

# बिहार सरकार

## खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

**आदेश**

आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जम्मू एवं कश्मीर सरकार, श्रीनगर के कार्यालय पत्रांक–FADA-Tech/8/2021-05, दिनांक–30.01.2026 द्वारा अनंतनाग जिलान्तर्गत लारनो प्रखंड में पदस्थापित/कार्यरत खाद्य संरक्षा अधिकारी के द्वारा मेसर्स DAR Enterprises, Sagam, Kokernag के प्रतिष्ठान से HUM TUM Krackers (SOBISCO) Biscuit, M/s Sona Biscuits Limited, Hajipur Industrial Area, Vaishali, Bihar का नमूना संग्रहण कर जॉच हेतु राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद को भेजा गया है। जॉचोपरान्त उक्त नमूना में Sulphite की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पाये जाने के कारण उसे असुरक्षित घोषित करने की कार्रवाई संबंधित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा किया गया है। जॉच फलाफल के आधार पर HUM TUM KRACKERS (SOBISCO) Biscuit (Lot No.- JU/C53, Net Weight 41g, Date of Manufacture : 21-10-2025, Use By Date: 20-07-2026) के क्रय–विक्रय को जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र के अन्तर्गत रोक लगाते हेतु उक्त बैच के सभी बिस्कुट को बाजार से वापस करने की कार्रवाई का आदेश आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जम्मू एवं कश्मीर सरकार, श्रीनगर द्वारा निर्गत किया गया है। उक्त आदेश से खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को अवगत कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त के आलोक में जन–स्वास्थ्य के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्यान्तर्गत कार्यरत सहायक अभिहित अधिकारियों –सह– खाद्य संरक्षा अधिकारियों को HUM TUM Krackers (SOBISCO) Biscuit का नमूना राज्य के प्रमुख बाजारों से संग्रहित करने का निदेश दिया गया था। उक्त विभागीय निदेश के अनुपालन मे राज्यान्तर्गत विभिन्न स्थानों से HUM TUM Krackers (SOBISCO) Biscuit का नमूना संग्रहण कर, जॉच हेतु मान्यता प्राप्त NABL खाद्य प्रयोगशाला को भेजा गया था, जिसकी विवरणी निम्नवत् हैः–

| Name of Shops/ Premises, where sample was collected | Name of Food Article | Manufacturer/ Marketer | Batch No./Date of Manufacture /Use by Date/Net Content | Sample Code | Report No. | Option of the Food Analyst | Reasons of faliure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/S Pragya Interprises, Adda Road, Sasaram, Rohtas | Biscuits Hum Tum Krackers | SONA BISCUITS LIMITED, 15A , Hemanta Basu Sarani, Kolkata-700001 | Lot No-AM/A53, MFG Date-13 01 2026 Use by 12 10 2026 68g | ROH/07/ 2026 | 820260 217FP0 15 | Unsafe | Value of Sulphites ($SO_2$) is greater than to FSSAI requirement |
| M/S Laxmi Bhandar, Gulabbagh, Purnea | Biscuits Hum Tum Krackes (Sobisco) | SONA BISCUITS LIMITED, 15A , Hemanta Basu Sarani, Kolkata | Lot No- G/S1, MFG Date-02 01 2026 Use by 01 10 2026 68g | PURN/75 /2025 | 820260 217FP0 34 | Unsafe | Value of Sulphites ($SO_2$) is greater than to FSSAI requirement |
| M/S Sona Biscuits Limited, Hajipur, | Biscuits Hum Tum Krackes | SONA BISCUITS LIMITED, 15A , Hemanta | Lot No-JU/CS3, MFG Date-21 10 2025 | HJP/07/ 2026 | 820260 217FP0 13 | Unsafe | Value of Sulphites ($SO_2$) is greater than to FSSAI |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial Area, Hajipur, Vaishali | (Sobisco) | Basu Sarani, Kolkata-700001 | Use by 20 07 2026 41g | | | | requirement |
| M/S Sona Biscuits Limited, Hajipur, Industrial Area, Hajipur, Vaishali | Biscuits Hum Tum Krackes (Sobisco) | SONA BISCUITS LIMITED, 15A , Hemanta Basu Sarani, Kolkata-700001 | Lot No-BL/AS3, MFG Date-12 02 2026 Use by 11 11 2026 34 g | HJP/08/2026 | 820260217FP014 | Unsafe | Value of Sulphites ($SO_2$) is greater than to FSSAI requirement |
| M/S Ranjeet Kirana, Khutiya, Mansi, Khagaria | Biscuits Hum Tum Krackes (Sobisco) | SONA BISCUITS LIMITED | Lot No- B/S1, MFG Date-10 01 2026 Use by 09 10 2026 68 g | KGH/34/25 | SFF-160226032 | Unsafe | Presence of sulphite above than maximum specified limit |
| M/S Narayani Store, Singh Market, BMP Road, Infront of Pillar No - 35, Ashiyana More, Patna | Biscuits Hum Tum Krackes (Sobisco) | SONA BISCUITS LIMITED, Hooghly, West Bengal-712223 | Lot No- N/S1, MFG Date-10 01 2026 Use by 09 10 2026 68 g | PAT/05/2026 | SFF-160226033 | Unsafe | Presence of sulphite above than maximum specified limit |
| M/S Madan Perfumery Works, Loha Patti, D N Singh, Bhagalpur | Biscuits Hum Tum Krackes (Sobisco) | SONA BISCUITS LIMITED, 15A , Hemanta Basu Sarani, Kolkata-700001 | Lot No- N/S1, MFG Date-10 01 2026 Use by 09 10 2026 68 g | BGP/05/2026 | 820260221FP072 | Unsafe | Value of Sulphites ($SO_2$) is greater than to FSSAI requirement |

3. उक्त सारणी से स्पष्ट है कि राज्यान्तर्गत विभिन्न जिलों/बाजारों से संग्रहित कराये गये Hum Tum Krackers (SOBISCO) Biscuits का नमूना जाँच में जनस्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाया गया है। अतएव खाद्य सरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–29 में राज्य खाद्य संरक्षा प्रशासन/खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए Hum Tum Krackers (SOBISCO) Biscuits के सभी विनिर्माण सस्थानों/पैंकिग संस्थानों/खुदरा विक्रय प्रतिष्ठानों/थोक प्रतिष्ठानों/भण्डार प्रतिष्ठानों एवं राज्य के अन्य सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को निदेशित किया जाता है कि खाद्य संरक्षा एव मानक अधिनियम, 2006 की धारा–26, 27, 28 में वर्णित प्रावधान को ध्यान रखते हुए उक्त बिस्कुट के सभी बैचों को यथाशीघ्र बाजार से विनिर्माण संस्थानों/थोक संस्थानों को वापस करना सुनिश्चित करेगे। विनिर्माण संस्थानों को निदेशित किया जाता है कि वे खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–26, 27 एवं 28 में वर्णित प्रावधान को ध्यान में रखते हुए राज्यान्तर्गत बाजारों में आपूर्त्ति किये गये Hum Tum Krackers (SOBISCO) Biscuits के सभी बैचों को बाजार से वापस कराकर, इसकी सूचना खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, बिहार, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

4. राज्य के जनस्वास्थ्य के हितों को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर खाद्य संरक्षा एव मानक अधिनियम, 2006 की धारा–30(2)(a) में खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं **लोकेश कुमार सिंह, भा०प्र०से०, खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना** Hum Tum Krackers (SOBISCO) Biscuits के सभी बैचों के क्रय–विक्रय पर इस आदेश की निर्गत की तिथि के आगामी 15 दिनों के लिए प्रतिबंधित लगाता हूँ। प्रतिबंध अवधि के दौरान विनिर्माण संस्थानों/थोक विक्रेताओ को उक्त बिस्कुट को बाजार से रिकॉल कराने की छूट होगी। इस अवधि में वे राज्यान्तर्गत अवस्थित बाजारो से उक्त बिस्कुट के सभी बैचों को आवश्यक रूप से वापस कराकर, उसके निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगे। केवल रिकॉल के कार्य हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने–जाने

के लिए परिवहन एवं भंडारण की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त Hum Tum Krackers (SOBISCO) Biscuits का किसी भी प्रकार से विनिर्माण, क्रय–विक्रय, भंडारण, परिवहन एवं प्रदर्शन नहीं किया जायेगा।

5. राज्य के सभी अभिहित अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित विनिर्माण/थोक/खुदरा प्रतिष्ठानों से Hum Tum Krackers (SOBISCO) Biscuits के सभी बैचों को बाजार से वापस कराने हेतु नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे एवं उक्त आदेश का शत–प्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगे।

6. राज्य के सभी जिला पदाधिकारियो/वरीय पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों से अनुरोध है कि उक्त आदेश को राज्य में व्यापक ढंग से लागू कराने हेतु अपने सभी अधीनस्थों को आदेशित करना सुनिश्चित करेंगे।

7. निदेशक, सूचना एवं जन–संपर्क विभाग से अनुरोध है कि Hum Tum Krackers (SOBISCO) Biscuits के प्रतिबध के संबंध में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के माध्यम से राज्य के सभी जन–मानस को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. उक्त के अतिरिक्त राज्य के सभी अभिहित अधिकारी/सहायक अभिहित अधिकारी/खाद्य सरंक्षा अधिकारी को निदेशित है कि उक्त जॉच प्रतिवेदनों के आधार पर संबंधित विनिर्माण सस्थानों/विक्रय प्रतिष्ठानो पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा नियम, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) में वर्णित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सुसंगत धाराओं के तहत् नियमानुसार कार्रवाई/अभियोजन दायर करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

ह०/–
**(लोकेश कुमार सिंह)**
खाद्य संरक्षा आयुक्त,
बिहार, पटना।

**ज्ञापांक** – 52(15B) **पटना/बिहार, पटना** – 06/03/ **2026**

प्रतिलिपि प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में आम जन के सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि गजट की प्रति खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर/कोलकाता, पश्चिम बंगाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जन–संपर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/सभी अभिहित अधिकारी/सभी सहायक अभिहित अधिकारी/सभी खाद्य संरक्षा अधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : M/S Sona Biscuits Limited, Hajipur, Industrial Area, Hajipur, Vaishali / M/S SONA BISCUITS LIMITED, 15A, Hemanta Basu Sarani, Kolkata-700001/ M/S SONA BISCUITS LIMITED, Hooghly, West Bengal-712223 एवं अन्य सभी विनिर्माण संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य के सभी खाद्य व्यापारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

खाद्य संरक्षा आयुक्त,
बिहार, पटना।

06/3/2024